

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1457)/2019/ 49

दिनांक : 16-01-19

आदेश

निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन, जिनका राज्य सेवा में रहते हुये निधन हो चुका है का उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य सेवा से विलोपित किया जाता है के विरुद्ध :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	मृत्यु दिनांक	सेवा से विलोपित दिनांक
1.	श्रीमती चेतना कुमारी, ले.टे.	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा	17.09.2018	17.09.2018
2.	श्री राजेश कुमार, ले.टे.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर	16.11.2018	16.11.2018.

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1457)/2019/ 49

दिनांक : 16-01-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-कोटा/जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, डीपीसी सैल, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
7. संबंधित कर्मचारियों के आश्रित परिवार को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर